भोपाल, बुधवार
09
अप्रैल-2025

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 08 | अंक : 360 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रुपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

हमारे चरित्र हमारे आचरण का परिणाम हैं...

न्यूज ब्रीफ

9 राज्यों में लू की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलट

नई दिल्ली। देश के उत्तर-पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं, नॉर्थ-ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी-बारिश के आसार है। इधर, राजस्थान में अब दिन के साथ रात भी गर्म होने लगी है। कुछ शहरों में रात का पारा 45ए के पार पहुंच गया है। सोमवार को बाड़मेर शहर का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, आज यहां हीटवेव का रेड अलर्ट है। इसके अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट है। मध्यप्रदेश में सोमवार को भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। रतलाम-नीमच समेत 8 जिलों में आज लू का अलर्ट है। हिमाचल में आज लू चलने की चेतावनी है।

कर्नाटक छेड़छाड़ मामला, गृहमंत्री ने माफी मांगी

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं। अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। जी परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे और तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही। दरअसल, बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके का है। घटना 3 अप्रैल की है। जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था- इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं।

जयपुर धमाके-जिंदा बम केस में 4 आतंकवादियों को उम्रकैद

जयपुर। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी चार आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 4 अप्रैल को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे।

मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर होंगे अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन

मुख्यमंत्री ने कहा- पदोन्नति का रास्ता निकाला जल्द ही मंत्रि परिषद की बैठक में आएगा प्रस्ताव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के चार लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आठ साल से अधिक समय से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति का मसला उलझा हुआ है। अब सरकार ने उनके प्रमोशन करने का फैसला लिया है। अधिकारी कर्मचारी लंबे अरसे से प्रमोशन से वंचित रहे हैं। हजारों अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन के बिना रिटायर भी हो गए हैं। सीएम ने कहा कि अब सरकार ने अलग-अलग स्तर पर चर्चा के बाद समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, डिप्टी सीएम और सभी वर्गों के साथ मिलकर प्रमोशन का रास्ता तलाशा है। धीरे-धीरे प्रमोशन

के नजदीक आ गए हैं। जल्दी ही प्रमोशन के लिए कैबिनेट से मंजूरी देकर प्रमोशन करने का काम करेंगे।

9 साल से लगी प्रमोशन पर रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को %मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002% की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। शिवराज सरकार ने 12 मई 2016 को हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तभी से मध्य प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है।

पदोन्नति पर रोक लगे 8 साल 11 माह और 8 दिन हो गए हैं। इस अवधि में 1 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनमें से करीब 1 लाख कर्मचारियों को इन्हीं 8 साल 11 माह में पदोन्नति मिलनी थी। बता दें कि हर माह प्रदेश में लगभग 3000 कर्मचारी रिटायर होते हैं।

कमेटी बनी पर नहीं निकला हल

2018 का चुनाव हारने के बाद 2020 में फिर से सत्ता में आई शिवराज सरकार ने पदोन्नति का हल निकालने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उप मंत्री परिषद समिति बनाई गई थी। जिसने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ताओं के परामर्श से पदोन्नति के नए नियम बनाए थे, जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने नहीं माने। उनका कहना था कि कमेटी ने पुराने नियमों को नए कलेवर में परोस दिया।

कोर्ट के आदेश पर मिला प्रमोशन

प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के बावजूद विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है। दरअसल, इस रोक के खिलाफ सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने प्रकरण सुनने के बाद पदोन्नति के आदेश सरकार को दिए थे और चतुर्वेदी को पदोन्नति दी गई। इसके बाद अलग-अलग विभागों के कर्मचारी कोर्ट जाते रहे और कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति दी जाती रही हैं।

अब जानिए, किस वजह से प्रमोशन पर रोक लगी

साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है।

एमपी में अगले साल 5त्न कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे मप्र में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 लाख 6 हजार 876 हैं। इनमें से क्लास वन अधिकारियों की संख्या 8 हजार 286, क्लास टू अधिकारियों की संख्या 40 हजार 20 और क्लास थ्री कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 48 हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 58 हजार 522 हैं। इन चारों कैटेगरी में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 60 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 27 हजार 921 हैं, यानी 2026 में ये सभी रिटायरमेंट की उम्र 62 तक पहुंच जाएंगे। ये आंकड़ा कुल कर्मचारियों का 5 फीसदी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार की शाम मंत्रालय कर्मचारी संघ और शीघ्र लेखक संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में की गई घोषणा और पूर्व में विभिन्न तरह के भत्तों को प्रदान करने एवं अन्य कर्मचारी हितैषी निर्णयों पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रतिनिधि मंडल ने शासकीय सेवकों की पदोन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि लगभग 9 वर्ष बाद यह एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है जो कर्मचारी वर्ग के हित में रहेगा। अनेक कर्मचारी पदोन्नति की चाह में सेवानिवृत हो गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उलझे हुए मसले पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की घोषणा की है जिसके लिए समस्त कर्मचारी उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में शासकीय सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के विकास में सभी वर्गों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट करने वालों में श्री सुभाष वर्मा, श्री जी. पी. सिंह, श्री संजय राठौर, श्री शैलेंद्र पांडे, श्री हरिशंकर भार्गव, श्रीमती सीमा कोरोपा, श्री अनूप चौहान और श्री अनूप हिराऊ शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर विस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों में हुई हाथापाई

श्रीनगर, एजेंसी

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान हृष्ट और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

इससे पहले सोमवार को NC के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक हृष्ट विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। हृष्ट समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए

कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कानून लागू करने के लिए केंद्र नोटिफिकेशन जारी करेगा। वक्फ कानून के खिलाफ स्ष्ट में 11 याचिकाएं दर्ज नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल तक 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में कानून को चुनौती देंगी।

जयपुर में कांग्रेस-जिला उपाध्यक्ष ने कार से 9 को कुचला, 3 की मौत

शराब के नशे में 7 किमी. तक दौड़ाता रहा, पीड़ित परिवारों को 50 लाख मुआवजा

जयपुर, एजेंसी।

जयपुर में सोमवार रात को शराब के नशे में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान ने स्ङ्क दौड़ाते हुए 9 लोगों को कुचल दिया। घटना में भाई-बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि 6 लोग अब भी गंभीर घायल हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया। सांसद मंजू शर्मा ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। वहीं, मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने उस्मान खान को जिला उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। पुलिस के अनुसार, सबसे पहले शहर की एमआई रोड पर कार के वाहनों को टक्कर मारने की जानकारी मिली थी। इसके बाद कार शहर की तंग गलियों में घुस गई। एडिशनल DCP (नॉर्थ) बजरंग सिंह शेखावत ने

बताया कि आरोपी ड्राइवर उस्मान खान (62) ने सबसे ज्यादा टक्कर करीब 500 मीटर के एरिया में मारी है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में संतोष माता मंदिर के पास आरोपी ड्राइवर ने पहले स्कूटी-बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे लोगों को कुचलते हुए भाग गया। उस्मान खान ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। आरोपी ने सोमवार रात 9.30 बजे सबसे पहले एमआई रोड पर एक गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसके बाद शहर की गलियों से वाहनों को टक्कर मारते हुए वो नाहरगढ़ रोड पहुंचा था।

एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल

हादसे में शास्त्री नगर निवासी वीरेंद्र सिंह (48), ममता कंवर (50), नाहरगढ़ रोड निवासी मोनेश सोनी (28), मानबाग खोर शारदा कॉलोनी निवासी मोहम्मद जलालुद्दीन (44) घायल हुए। वहीं, संतोषी माता मंदिर के पास निवासी दीपिका सैनी (17), गोविंदराव जी का रास्ता निवासी विजय नारायण (65), जेबुन्निशा (50), अंशिका (24) व लालदास का खाड़ा निवासी अवधेश पारीक (37) को भी घायल स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां डॉक्टर्स ने ममता कंवर और अवधेश को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह एक और घायल वीरेंद्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। ममता कंवर और वीरेंद्र सिंह भाई-बहन थे।

तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर एससी सख्त

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोककर रखा है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी आरएन रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था।

अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन

सीएम-उपराज्यपाल समेत बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक; अलगाववादी हुर्रियत से तीन संगठन अलग हुए

श्रीनगर, पीपुल्स प्रवक्ता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं। आज मंगलवार को दौरे के तीसरे और आखिरी दिन शाह ने श्रीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों ने उन्हें प्रदेश में चल रही विकास कार्यों की बारे में जानकारी दी। साथ ही कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। बैठक में ष्टरूउमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

इधर, शाह के दौरे के बीच जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े तीन संगठनों ने सोमवार को खुद को अलग कर लिया है। इन संगठनों में जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर

मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग, और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल हैं।

इसपर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा: यह कश्मीर घाटी में भारत के संविधान पर जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। अब तक 11 संगठन हुर्रियत से नाता तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के दृष्टिकोण को आज और अधिक बल मिला है। सोमवार को दौरे के दूसरे दिन शाह स्प्ष्ट और कठुआ में क्रस्स्न की चौकी गए। जहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लिया। फिर शहीदों के परिवारों से राजभवन में मिले और अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी बांटे। इससे पहले 6 अप्रैल (रविवार) को पहले दिन शाह ने क्ष्ठ्क विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। बता दें कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है।

शाह बोले- कुछ ही सालों में जवान टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे अमित शाह ने सोमवार को सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत में कहा- कुछ ही सालों में पूरी भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के जवान तकनीकी सहायता से लैस हो जाएंगे। तकनीक से संबंधित 26 से अधिक कई कदमों के परीक्षण अभी चल रहे हैं।

ईडी का ड्रग तस्कर पर शिकंजा 1.22 करोड़ रू. की प्रॉपर्टी अटैच

जसमीत हकीमजादा दुबई से चला रहा सिंडिकेट

पीपुल्स प्रवक्ता, गुरुग्राम।

प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल कार्यालय द्वारा इंटरनेशनल ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 1.22 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से अटैच किया है। जसमीत हकीमजादा फिलहाल दुबई में रह रहा है और उसकी अटैच प्रॉपर्टी गुरुग्राम के सोहना इलाके में है। दरअसल, 27 अगस्त 2024 को ईडी ने दिल्ली में हकीमजादा और उसकी पत्नी के नाम से बैंक लॉकर भी खोजे थे। इन लॉकरों से 1.06 किलो सोना और 370 ग्राम हीरे के जेवर मिले, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था। ड्रग्स से कमाया गया कैश भारत के अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में जमा करने और फिर उसी पैसे से गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसी प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है।

एफआईआर पर कार्रवाई

ईडी नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी यानि एनआईए की तरफ से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की है। एनआईए ने जसमीत हकीमजादा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 और NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया है कि जसमीत हकीमजादा को अमेरिका की सरकार ने महत्वपूर्ण विदेशी मादक पदार्थ तस्कर घोषित किया है। साथ ही उसका नाम विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की लिस्ट में भी शामिल है। जांच में ये भी सामने आया है कि हकीमजादा का नाम खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (चरुस्न) और इसके पाकिस्तान में छुपे चीफ हरमीत सिंह उर्फ PhD से भी जुड़ा हुआ है। जसमीत भारत में एक बड़ा नार्को-टेरर नेटवर्क चला रहा था। ड्रग्स से कमाया गया पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था।